झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

रॉंची, दिनांक–

संख्या–12/नि0–07–01/2010(खण्ड–2) का०–........................./ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉंची की अधिसूचना सं0–4447 दिनांक–26.07.2010 के द्वारा झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 गठित है।

2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेश संख्या– F.No.21/12/2010-C.S.I(P) दिनांक–21.12.2015 के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के 'उच्चवर्गीय लिपिक' एवं 'निम्न वर्गीय लिपिक' का पदनाम परिवर्तित करते हुए क्रमशः 'वरीय सचिवालय सहायक' एवं 'कनीय सचिवालय सहायक' किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के 'उच्चवर्गीय लिपिक' एवं 'निम्न वर्गीय लिपिक' के पदनाम को परिवर्तित करते हुए क्रमशः 'वरीय सचिवालय सहायक' एवं 'कनीय सचिवालय सहायक' किया जाता है।

3. साथ ही, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉंची की अधिसूचना सं0–4447 दिनांक–26.07.2010 के द्वारा गठित झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–3 में उल्लेखित पदनाम 'उच्चवर्गीय लिपिक' एवं 'निम्नवर्गीय लिपिक' के स्थान पर क्रमशः 'वरीय सचिवालय सहायक' एवं 'कनीय सचिवालय सहायक' प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. उक्त पदनाम परिवर्तन के फलस्वरुप राजकोष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

5. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार दूबे)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 12/नि0–07–01/2010(खण्ड–2) का0.....7673/ रॉंची, दिनांक–15/10/18

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/18

सरकार के अवर सचिव

Scanned with CamScanner